तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मांगीलाल शर्मा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) सू.अ.अ. अपील संख्या 72/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06..20	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित रहा। संक्षित में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी मांगीलाल शर्मा पुत्र केवल शर्मा निवासी सोनारों की बगेची के पास, वार्ड नं. 6, फलोदी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.02.20 में उसके द्वारा (1) भारत सरकार के राजपत्र (गजट नोटिफिकेशन) दिनांक 21. 10.19 के तहत जिसमें फतेहगढ भड़ला ऑवर हेड लाईन के संबंधित जो भी पत्रावली/सूचना/अनुमति उपखण्ड कार्यालय फलोदी से जारी हुई है, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	